

1402  
2021

रिपोर्ट पटवारी 11-21/अ-30एल0आर0  
के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नलिखित अनुसार

मोटेपन/सुभाषि पहचान पत्र, राजानफारि,  
डाक्टरा, प आचार कार्ड में जर्जी का नाम केसरदेव पि सुभाराम है जवकी  
क्रमांक 2075-78 में केसराम पु सुभाराम है। अतः जर्जी का नाम केसरदेव पु  
सुभाराम लिखा जाना उचित है रिपोर्ट श्रीमानजी को हेंपाठ भेज दी

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

दिनांक - 16/11/2021

क्रमांक राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी कार्यालय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/संज्ञित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।  
की जाती है।

उचित किना जागा इच्छित है।

16/11/2021  
तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं परदेन सहायक पल्लार उदयपुरवाटी जिता सुयुतू (राज.)  
- आदेश -

दिनांक - 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षी एवं तहसीलदार (गु0अ0)  
उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व  
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	ककराना	2075-78	252	केसराम पु सुभाराम	केसरदेव पु सुभाराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
दिनांक - 16/11/2021

क्रमांक - राजस्व/2020/ 1132-33

- प्रतिलिपि -
1. तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वारं वारं पालनाथे।
  2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाथे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

ममता  
(ममता)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत ककराना  
रा. उदयपुरवाटी (शु-सुन)

